रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2019/आषाढ़ 25, 1941
No. 2311] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2019/ASHADHA 25, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

का.आ. 2540(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से केंद्रीय मोटर यान नियम,1989 के अनुसार साढेतीन टन से बारह टन के बीच सकल भार वालेयान के साथ श्रेणी एम2, एम3 और एन2 के हल्के और मध्यम वाणिज्यिक यानों के लिए स्थिर गति ईंधन खपत मानक, निम्नलिखित रूप में मोटर यानों की उक्त श्रेणी की बिक्री के लिए विनिर्माण या आयात के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

(1) 1 अप्रैल, 2020 को और उसके बाद से श्रेणी एम2, एम3 और एन2 के डीजलयानों सहित साढ़े तीन टन से बारह टन के बीच भारवाले सकल यान का बीएस-IV और बीएस-V। उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए स्थिर गति ईंधन खपत हेतु परीक्षण किया जाएगा, जैसा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संगत मानक अधिसूचित होने तक किया जाएगा:

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट यान, 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त मानकों के लिए सारणी-1 और सारणी-2 में दिए गए समीकरण से लक्षित डीजल ईंधन खपत मान (लीटर प्रति 100 कि.मी.) को पूरा करेंगे:-

सारणी - 1

(क) प्रवर्ग एन2- – माल वाहकयान (3.5 टन से 12.0 टन)

सकल यान भार श्रेणी	परीक्षण गति (किलोमीटर प्रति घंटा)	लक्ष्य ईंधन खपत (लीटर प्रति 100 किलो मीटर) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
(1)	(2)	(3)
3.5 टन से 7.5 टन	50 किलोमीटर प्रति घंटा	ईंधन खपत = 1.038*W+3.372
7.5 टन से 12.0 टन	40 किलोमीटर प्रति घंटा	ईंधन खपत = 1.080*W+1.708
7.5 टन से 12.0 टन	60 किलोमीटर प्रति घंटा	ईंधन खपत = 1.038*W+6.008

सारणी - 2

(ख) प्रवर्ग एम-2 और एम-3 – यात्री वाहक यान (3.5 टन से 12.0 टन)

सकलयान भार श्रेणी	**परीक्षण गति (किलोमीटर प्रति घंटा)**	**लक्ष्य ईंधन खपत (लीटर प्रति 100 किलो मीटर) व्युत्पन्न के लिए समीकरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
3.5 टन से 7.5 टन	50 किलोमीटर प्रति घंटा	ईंधन खपत = 1.293*W+ 2.806
7.5 टन से 12.0 टन	40 किलोमीटर प्रति घंटा	ईंधन खपत = 1.399*W+0.381
7.5 टन से12.0 टन	60 किलोमीटर प्रति घंटा	ईंधन खपत = 1.768*W+0.509

जहां **W**, टन में वाहन का सकल भार है और ईंधन खपत, सामान्यीकरण मान (ईंधन की खपत) लीटर प्रति 100 किलोमीटर है।

(3) अन्य सभी चार पहिया यान, यदि कोई हो, जो मानकों में शामिल नहीं किए गए हैं, इन्हें दो पहिया यान माना जाएगा और ये अपनी दो पहिया ड्राइव श्रेणी के मानकों के अनुरूप होंगे।

(4) 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले किसी राजकोषीय वर्ष में, एक विशिष्ट प्रवर्ग के प्रत्येक यान की ईंधन खपत सारणी-1 और सारणी-2 में निर्दिष्ट उस श्रेणी के समीकरण से प्राप्त ईंधन खपत मान से कम होंगी।

(5) ये सन्नियम केवल बीएस-IV उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में रहने वाले यानों पर ही लागू होंगे और बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले यानों के लिए उपरोक्त उल्लिखित बीएस-IV मानक यानों में उचित सुधारकारक उपयोग हेतु तैयार किया जाएगा। सुधार कारक को विद्युत मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल कर गठित एक समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(6) कड़ाई की सीमा तय करने और हल्के और मध्यम वाणिज्यिक यानों के मानकों और हैवी ड्यूटी यान मानकों के बीच 12.0 टन पर सीमा स्थिति को सुमेलित करने के लिए हैवी ड्यूटी यान मानकों के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के दोरान इन मानकों की पुन: समीक्षा की जाएगी।

(7) **अनुपालन और प्रवर्तन -** (1) सभी यान विनिर्माता या यान आयातक जो भारत में मोटर यानों की बिक्री करते हैं, जैसा उक्त सारणियों में विनिर्दिष्ट हैं, वे इस अधिसूचना में निर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों का पालन करेंगे।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थिर गति ईंधन खपत विधि से उत्पादन की अनुरूपता का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो प्रत्येक दो वर्षों में एक बार संचालित किया जाएगा।

(3) यान के उत्पादन की कम से कम एक अनुरूपता अधिक से अधिक 1 अप्रैल, 2020 तक संचालित की जाएगी।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन संबंधित मंत्रालयों और विद्युत मंत्रालय के परामर्श से बिजली से चलने वाले मोटर यानों के लिए परीक्षण और गणना पद्धतियों, रिपोर्टिंग, गैर अनुपालन के परिणामों और समकक्ष यान क्रेडिट से संबंधित उपाबंधों के साथ मानकों को लागू किया जाएगा।

[फा. सं. 10/2/2019-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

IndiaCode

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2019

S.O. 2540(E) -In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the constant speed fuel consumption standard for Light and Medium commercial vehicles of category M2, M3 and N2 with gross vehicle weight between three and a half tonnes to twelve tonnes in accordance with Central Motor Vehicle Rules, 1989, for the purpose of manufacturing or importing for sale of the said category of motor vehicles in the following manner, namely:-

(1) On and from 1st April 2020, diesel vehicles of category M2, M3 and N2 with gross vehicle weight between three and a half tonnes to twelve tonnes, complying with BS-IV and BS-VI emission norms, shall be tested for constant speed fuel consumption as specified by Ministry of Road, Transport and Highways, till the time Bureau of Indian Standards notify corresponding standards:

(2) The vehicles referred to in clause (1) shall meet the target diesel fuel consumption value (litre per 100km.) derived from the equations given in the Table-1 and Table-2 for the Norms effective from 1st April, 2020.

Table - 1

(a) Category N2 – Goods Carrier Vehicles (3.5 T to 12.0 T)

Gross Vehicle Weight Range	Testing Speed (Kilometres per Hour)	Equation for Deriving Target Fuel Consumption (litre per 100km.)
(1)	(2)	(3)
3.5 T to 7.5 T	50 **Kilometres per Hour**	Fuel Consumption = 1.038*W+3.372
7.5 T to 12.0 T	40 **Kilometres per Hour**	Fuel Consumption = 1.080*W+1.708
7.5 T to 12.0 T	60 **Kilometres per Hour**	Fuel Consumption = 1.038*W+6.008

IndiaCode

Table - 2

(a) Category M2 and M3 – Passenger Carrier Vehicles (3.5 T to 12.0 T)

Gross Vehicle Weight Range	Testing Speed (Kilometres per Hour)	Equation for Deriving Target Fuel Consumption (litre per 100 km.)
(1)	(2)	(3)
3.5 T to 7.5 T	50 **Kilometres per Hour**	Fuel Consumption = 1.293*W+ 2.806
7.5 T to 12.0 T	40 **Kilometres per Hour**	Fuel Consumption = 1.399*W+0.381
7.5 T to 12.0 T	60 **Kilometres per Hour**	Fuel Consumption = 1.768*W+0.509

Where W is Gross Vehicle Weight of the vehicle in tonnes and Fuel Consumption is Normalised value (fuel consumption) in Litre per 100 km.

(3) All other four-wheel drive vehicles, if any, which are not covered in the norms shall be treated as two-wheel drive vehicles and shall conform to the norms of their two-wheel drive category.

(4) In any fiscal year commencing on and from the 1st day of April, 2020 onwards, the fuel consumption of each vehicle of a particular category shall be less than the fuel consumption value derived from the equation of that category as specified in thetable-1 and table-2.

(5) The norms shall apply only to the vehicles complying with BS-IV emission norms. For the vehicles complying with BS-VI emission norms, a suitable correction factor to be used on above mentioned BS-IV norm values. The correction factor shall be derived by a committee comprising of representatives of Ministry of Power, Ministry of Road, Transport and Highways and Ministry of Petroleum and Natural Gas and approved by the competent authority.

(6) The norms shall be reviewed again during implementation of 2nd phase of Heavy-Duty Vehicle Norms to decide extent of stringency and to match the boundary condition at 12.0 Tonnes between Light and Medium Commercial Vehicles norms and heavy-duty vehicle norms.

(7) **Compliance and enforcement: -**(i) All the Vehicle manufacturers or vehicle importers selling the motor vehicles in India, as specified in the aforesaid Tables, shall comply with the energy consumption standards specified in this notification;

(ii) The Ministry of Road, Transport and Highways shall implement the conformity of production by constant speed fuel consumption method which shall be conducted once in every two years;

(iii) At least one conformity of production for the vehicle has to be conducted latest by 1st April 2020.

(iv) The Ministry of Road, Transport and Highways, shall enforce the norms along with provisions relating to testing and calculation methodologies, reporting, consequence of non-compliance and equivalent vehicle credits for electricity driven motor vehicles under the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in consultation with Ministries concerned including Ministry of Power.

[F. No. 10/2/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.07.16 22:17:40 +05'30'